संख्या– 1569 /III (2)/04–09 (बजट)/2004

प्रेषक,

टी0के0पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तराचल शासन ।

सेवा में,

प्रभारी मुख्य अभियन्ता स्तर–1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनॉक 27 अगस्त, 2004

विषयः– वर्ष 2004–2005 मे पुलो के निर्माण एवं सुद्वढीकरण हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1378/01 बजट(मार्ग/सेतुकार्य–रा.से.)/04–05 दिनांक 6.8.2004के सन्दर्भ मे एवं शासनादेश संख्या–1184/III(2)/04–09 (बजट)/2004,दिनांक 10.6.2004 के कम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 मे पुलो के निर्माण एवं सुद्धढीकरण हेतु प्राविधानित धनराशि मे से लेखानुदान के अर्न्तगत स्वीकृत धनराशि को कम करते हुए अवशेष रू0 70000 हजार (रूपये सात करोड मात्र)की धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2– उक्त स्वीकृत धनराशि का मासिक आधार पर सी0सी0एल0 के आधार पर कोषागार से आहरण किया जायेगा, यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू/निर्माणाधीन योजनाओ पर शासन की सहमति के प्रथमतः किया जायेगा, जिसमे 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है।कार्यवार खण्डवार आबंटन का संकलित प्रस्ताव शासन को एक सप्ताह मे उपलब्ध कराया जायेगा,जिन खण्डो मे 75 प्रतिशत या उससे अधिक के कार्य अवशेष नही है उन खण्डो मे 50 प्रतिशत से अधिक के कार्य किये जायेगे तथा वित्तीय/भौतिक लक्ष्यो का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा ।

3– यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि व्यय चालू कार्य पर कार्य की पूर्व अनुमानित लागत की सीमा तक ही किया जाय ।

4– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्कता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय । निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–2 विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।

5– उक्त धनराशि का आहरण तब ही किया जायेगा जब उक्त योजना हेतु विगत वर्ष स्वीकृत समस्त धनराशि का पूर्ण उपयोग कर लिया गया हो,जिन जनपदो मे पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोग हो चुका हो,वे इस धनराशि का आहरण कर सकते है ।

6– उक्त स्वीकृत धनराशि का कार्यवार आबंटन कर वित्तीय /भौतिक लक्ष्यो का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को स्वीकृति के एक माह के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा ।

7– कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिये संबधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरादायी होगें।

क्रमशः–2–

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31–3–2005 तक पूर्ण उपयोग कर के जनपदवार वित्तीय /भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा ।

9– इस संबध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय व्ययक के अनुदान संख्या –22 लेखाशीर्षक 5054 सडको तथा सेतओ पर पूँजीगत परिव्यय–03–राजमार्ग–आयोजनागत–101–पुल–03 पुलो का निर्माण एवं सुद्धढीकरण–00–24–वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

10– यह आदेश वित्त विभाग के अ0श0संख्या– 980 /वित्त अनुभाग–3/04 दिनांक 24 अगस्त, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(टी0के0पन्त)
सयुक्त सचिव

संख्या– 1569 (1)/III (2)/04 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल,देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल, कुमायू मण्डल पौडी/ नैनीताल ।
3– श्री एल0एम0पन्त, अपर सचिव वित्त बजट अनुभाग ।
4– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ ।
5 – समस्त जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी उत्तरांचल ।
6– मुख्य अभियन्ता गढवाल / कुमाऊ क्षेत्र लो.नि.वि./पौडी/ अल्मोडा ।
7– वित्त अनुभाग–3/ वित्त नियोजन प्रकोष्ठ,उत्तरांचल शासन ।
8– निदेशक ,राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल, देहरादून
9– लोक निर्माण अनुभाग–1/ गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
सयुक्त सचिव ।

R.C.joshi-Go